

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमंत्रित वाद संख्या- 164/20-21(प्री)

दिनांक

आदेश फलक

अभियुक्ति

3/9/2020

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि मौजा- २१४३०५। थाना नं- 184, खाता संख्या- १८ प्लॉट संख्या- 1030, रकबा- 1,00 ए० एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 2 के पृष्ठ संख्या- 507 पर जमाबंदी रैयत वनती ७४५।२ पिटा भट्ट ८५५।१५ के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जनीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/9/2020 को उपस्थापित करें।

०३/९/२०

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

गाद अभिलेख संख्या— 164/20-21(CM)/ 2020 (अन्तर्गत धारा-४(h)BLR Act, 1950)

### सूचना

पनाम वर्गाती वर्जिवार  
पिता मरात्तु वर्जिवार  
ज्ञान-ठोकतोपा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि गौजा— ठोकतोपा, थाना नं— 184, खाता नं— १८, खेसरा नं— १०३०

रकबा— १,०० रु० से संबंधित आपके नाम से ह० नं— १११ के पंजी II भाग २ के पृष्ठ ५०७ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्ट्या राजरव कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक— 19/9/2020 को सामय— 11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न—I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजरव रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति—युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

03/09/2020

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

तिथि :—

रथान :—

अमिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिळ प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबदी रैयत/जमाबदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष है: इस्ता गया।

अतः उक्त जमाबदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबदी को रुक्करने हेतु अनुशासा की जाती है। अद्यतार कार्रवाई हेतु अमिलेख मूल मैं भूमि सुधार उपसाम हत्ता को भेजे।

१५/११/८२  
अधल अधिकारी  
गोपिन्धपुर

184.  
३३५२१  
१०८